भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 408**

20 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

**विषय: कृषि में भूजल-आधारित सिंचाई**

408. श्री चन्द्रशेखर साहू:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्रीमती पूनम महाजन:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भूजल-आधारित सिंचाई पर रोक के कारण इस प्रकार की सिंचाई करने में किसान कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूजल-आधारित सिंचाई पर रोक के कारण फसलों की उपज प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक फसल को बढ़ावा देने और सूक्ष्म-सिंचाई अपनाने जैसे उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस स्थिति में किसानों को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने पर विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**<u>उत्तर</u>**

**<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>**

**(क) और (ख):** जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर 2020 को अधिसूचित किए गए 'भूमिगत जल निष्कर्षण के नियंत्रण और विनियमन' के दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि क्षेत्र को भूमिगत जल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने से छूट दी गई है।

**(ग) और (घ):** देश में वैकल्पिक फसलों, वर्षा सिंचित क्षेत्र के विकास और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल जो कि सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है; उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने हेतु एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम; दलहन और मोटे अनाज और तिलहन की खेती के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्योंकि इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है; फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) पानी की खपत वाले धान से दूर फसल पैटर्न में विविधता लाने के लिए; फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों आदि को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रहा है।

इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कुशल जल प्रबंधन और कृषि-पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त फसलों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता और सलाह प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के माध्यम से देश में अधिक जल और फसल उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए जल के विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित मुद्दों को सुलझा रहा है।

(ड.) सरकार जल की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और आश्वासित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, सतत जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित  कर रही है। पीएमकेएसवाई के घटक हैं:

i. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम: राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित चल रही प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है

ii. पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी: स्रोत विस्तार, वितरण, भूमिगत जल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल आधिक्य क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल को भेजना, मरम्मत, बहाली, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

iii. पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल: डीएसी एंड एफडब्ल्यू द्वारा सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

iv. पीएमकेएसवाई- पनधारा विकास घटक: रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मिट्टी और नमी संरक्षण, जल संचयन संरचना, आजीविका सहायता गतिविधियां और अन्य पनधारा कार्य भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

******